न्यायालय उप खण्ड़ अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 14 / 2021

तहसीलदार शाहपुरा बनाम भैरू वगैरह

अन्तर्गत धारा 1231, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 18.11.2021

प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प म्हारखुर्द में उप तहसीलदार अमरसर के द्वारा ग्राम गुलाबबाडी तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 490/1 रकबा 0.05 है0 खातेदारी भूमि में मौके पर सार्वजनिक आम रास्ता चालू होने से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत प्राप्त हुआ । मौके पर ही प्रकरण में पक्षकारान /खातेदारों को सुना गया तथा सभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान के द्वारा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में ग्राम पंचायत म्हारखुर्द के द्वारा भी मौके पर सार्वजनिक आम रास्ता चालू होना बताया है। उप तहसीलदार अमरसर ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता होना बताया है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत म्हारखुर्द पटवारी, गिरदावर हल्का व उपतहसीलदार अमरसर की फर्द मौका रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि मौके पर भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है। खातेदारान ने भी रास्ता दर्ज करने की सहमति प्रदान की है।

अतः ग्राम ग्राम गुलाबबाडी तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 490/1 रकबा 0.05 है0 खातेदारी भूमि कों संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु उप तहसीलदार अमरसर को आदेश जारी हों । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को कैम्प म्हारखुर्द मे सुनाया गया ।

(मन मोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)